राजस्थान कर बोर्ड, अज़मेर

1. अपील संख्या-746 / 2010 / अजमेर

श्री सीमेन्ट लिमिटेड, बांगड नगर, ....अपीलार्थी ब्यावर बनाम .....प्रत्यर्थी वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त, अजमेर।

2. अपील संख्या-747 / 2010 / अजमेर

श्री सीमेन्ट लिमिटेड, बांगड नगर, ब्यावर बनाम

उप राजकीय अभिभाषक

वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त, अजमेर।

.....प्रत्यर्थी

....अपीलार्थी

खण्डपीठ श्री नत्थूराम, सदस्य श्री के.एल.जैन, सदस्य

उपस्थित : : श्री एम.एल.पाटौदी अभिभाषक श्री जमील जई

....अपीलार्थी की ओर से

....अप्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 05.09.2017

# निर्णय

उपर्युक्त अपील संख्या 746/2010 व 747/2010 ये दो अपीलें अपीलार्थी की 1. ओर से उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर, अजमेर (जिन्हें आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम की धारा 29(6) (जिसे आगे "बिक्री कर अधिनियम" कहा जायेगा) एवं केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम (जिसे आगे "केन्द्रीय अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 9 के अन्तर्गत पृथक–पृथक प्रकरणों में पारित किये गये पृथक-पृथक आदेश दिनांक 09.03.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा ये अपीलें पेश की गई हैं जिनका विवरण निम्न तालिका अनुसार है:-

1	2	3	4	5	6
अपील सं.	प्रथम अपीलीय अधिकारी की अपील संख्या व निर्णय दिनांक	प्रत्यर्थी (व्यवहारी) का नाम	कर निर्धारण वर्ष	कर निर्धारण अधिकारी का आदेश दिनांक	विवादित राशि (रूपये में)
746/2010	43/07-08/सी/ब्यावर निर्णय दिनांक 09.03.2010	मै. श्री सीमेन्ट लि. ब्यावर	92-93	14.06.2007	1113215
747/2010	44 / 07-08 / सी / ब्यावर	मै. श्री सीमेन्ट लि. ब्यावर	93–94	14.06.2007	996830
2. इन दोनों अपील प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण					
इनको एक	ही आदेश से निर्णित	किया जाकर	निर्णय	की एक-एक	प्रति प्रत्येक

पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

लगातार......2

en

## -: 2 :- अपील संख्या-746, 747 / 2010 / अजमेर

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी का मूल कर निर्धारण 3. किया गया था, जिसमें संशोधन हेतु अपीलार्थी ने कर निर्धारण अधिकारी को राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 06.05.1986 का लाभ स्वीकृत करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था, जिसे कर निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 18.09.2002 से अस्वीकार कर दिया था, संशोधन अस्वीकार आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी ने उपायुक्त (अपील्स) के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उपायुक्त (अपील्स) के निर्णय दिनांक 03.04.2007 से मामले को प्रतिप्रेषित करते हुए राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 06.05.1986 का लाभ अतिरिक्त आयुक्त (कर), वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर के आदेश दिनांक 27.09.2001 के अनुसार व्यवसायी को बाद जांच प्रदान करने के निर्देश दिये थे। अपील निर्णय की अनुपालना में पारित अपीलाधीन आदेश में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को अतिरिक्त आयुक्त (कर) वाणिज्यिक कर विभाग के आदेश दिनांक 27.09.2001 के अनुसार राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 06.05.1986 का लाभ सीमेन्ट पर स्वीकार किया गया लेकिन क्लिंकर की बिक्री पर यह कहते हुए लाभ को अस्वीकार किया कि आदेश दिनांक 27.09.2001 के अनुसार केवल सीमेन्ट उत्पादन पर ही आंशिक लाभ देय है। अपीलार्थी ने कर निर्धारण अधिकारी के इस आदेश को अपीलीय अधिकारी के समक्ष चूनौती देने पर अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को यथावत रखते हुये अपील अस्वीकार की है जिससे व्यथित होकर व्यवहारी ने ये अपीलें कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की है।

4. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

5. विद्वान अभिभाषक व्यवसायी ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने अतिरिक्त आयुक्त (कर) के आदेश दिनांक 27.09.2001 के अनुरूप कर निर्धारण आदेश में लाभ प्रदान नहीं किया है जबकि अतिरिक्त आयुक्त (कर) के आदेश दिनांक 27.09. 2001 के अनुसार अपीलार्थी के बेस ईयर 1984—85 के ब्रांच ट्रांसफर, इन्टर स्टेट सेल, within State sale, के प्रतिशतों में सीमेन्ट तथा क्लिंकर दोनों की बिक्री शामिल थी लेकिन कर निर्धारण अधिकारी ने केवल सीमेन्ट की बिक्री पर लाभ देकर क्लिंकर की बिक्री पर लाभ नहीं देने मे विधिक भूल की हैं, इसलिये अपील स्वीकार करने पर जोर दिया है। इन्होंने अपने कथन के समर्थन में (1997) 22 आरटीजेएस 308 आदित्य नगर, मोडक बनाम सचिव एसएलएससी का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

6. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेश का समर्थन किया एवं अपील अस्वीकार करने पर जोर दिया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय
निम्न प्रकार है :- क्रि शाद्र

लगातार......3

# -: 3 :- अपील संख्या-746, 747 / 2010 / अजमेर

8. प्रकरण में व्यवसायी ने सीमेन्ट व क्लिंकर की बिक्री पर अधिसूचना S.NO.625 : F.4(72)FDGr.IV/81-18 dated 06-05-1986 के अन्तर्गत लाभ चाहा था। कर निर्धारण अधिकारी ने सीमेन्ट की बिक्री पर तो लाभ प्रदत्त कर दिया परन्तु क्लिंकर की बिक्री पर लाभ प्रदान नहीं किया। अपीलीय अधिकारी ने भी अपीलार्थी की अपील इस आधार पर अस्वीकार की है कि अपीलार्थी को पूर्ववर्ती कम्पनियों की बिक्री में क्लिंकर की बिक्री शामिल होने के तथ्य पेश करने के लिये समय भी दिया था लेकिन ऐसे तथ्य अपीलार्थी द्वारा कभी पेश भी नहीं किये गये थे। अपीलीय अधिकारी ने यह माना है कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 06.05.1986 के अनुसार भी आधार वर्ष में बिक्रीयों की जो प्रकृति थी उन्हीं के आधार पर ही लाभ देय था।

9. प्रकरण में अधिसूचना दिनांक 06.05.1986 का अवलोकन करना समीचीन है जो निम्न प्रकार है :--

#### S.NO.625 : F.4(72)FDGr.IV/81-18 dated 06-05-1986

S.O.23.-In exercise of the powers conferred by S.8)5), CST Act, 1956, the State Govt. [2] in supersession of the FD notfn No.F.4(72)FDGr/IV/81-36 dated 03-12-1985 [S.No.584], hereby directs that, with immediate effect, any dealer, having his place of business and manufacturing goods in the State of Rajasthan, may claim partial exemption from the tax payable in respect of the sales by him if such goods in the course of inter-State trade or commerce by way of reduction at the rate of 50% of the tax so payable <sup>1</sup>[on increased sales upto 50% and at the rate of 75% of the tax so payable on increased sales made over and above the aforesaid 50%], in the manner nad subject to the conditions as follows:-

(1) Such reduction of tax shall be allowed to a dealer only after and in respect of the increase which is effected in the percentage of the quantum of goods sold in the course of inter-State trade or commerce out of the total quantum of goods sold within the State and in the course of inter-State trade or commerce and despatched to Head Office, Branch Office, Depot or agent outside the State fo sale outside the State, during any accounting year as against such percentage during the accounting year 1984-85;

(2) In the case of a dealer who commenced the manufacure of goods in the State of Rajasthan <sup>2</sup>[on or after 1.1.1985], the average of the aforesaid percentages in respect of the other manufacturers in the State in the relevant industry during the accounting year 1984-85, calculated and determined by the assessing authority with the approval of the Commissioner, shall be deemed to be the percentage in respect of such dealer for the accounting year 1948-85;

(3) This increase effected in the percentage, as referred to in clause (1) above in respect of the sales in the course of inter-Stae trade or commerce, to be considered shall be limited to the extent of the decrease in the percentage in respect of the despatch of goods to Head Office, Branch Office, Depot or agent outside the State for sale outside the State, during the relevant accounting year as against such percentage during the accounting year 1984-85; and

m

(4) No claim for such reduction of tax shall be allowed in respect of levy-cement.

लगातार......4

### -: 4 :- अपील संख्या-746, 747 / 2010 / अजमेर

Note.-Claim for partial exemption under this notfn dated 6.5-1986 [S.No.625] shall not be made and allowed in respect of the inter-State sales of levy cement, and of other cement made in accordance with S.NO.928 dated 7.3.1994, and also of the following goods when the sales are made and CST paid theron in accordance with the notfns mentioned against each :-

(a) All edible oils (excluding hydrogenated oils, palm oil whether refined or not and refined coconut oil): S.No.649 dated 26.12.1986, S.NO.793 dated 17.04.1990, pub. 18.4.1990 S.No. 934 dated 31.03.1994.

(b) Solvent extracted edible oil : S.Nos650 dated 26.12.1986 and 934 dated 31.03.1994;

(c) Polyster filament yarn and nylon filament yarn : S.No. 741 dated 2.3.1989;

(d Polyster chips and polypropylene filament yarn : S.No. 741 dated 3.11989, w.e.f. 13.9.1983;

(e) Polyester staple fibre and acrylic staple fibre: S.No. 742 dated 2.03.1989;

(f) All kinds of yarn or waste thereof made from man-made fibre including spun and blended yarn but excluding polyster filament. nylon filament and polypropylene filament yarn: S.No. 781 dated 12.10.1989.

(g)(1) Stainless steel blooms, rounds, wire rods, squares, strip sheets, and (2) Hot rolled and cold rolled coils, <sup>1</sup>[mis-rolls], plated, and end cuttings thereof : S.No. 867 dated 19.12.1991.

(h) Cement : S.No. 1301 dated 21.1.2000.

(i) A.C. Pressure pipes: S.No. 1335 dated 30.3.2000.

(j) Tyres and tubes of all types of motor vehicles sold to State Road Transport corporations of various States: S.No. 1436 dated 29.03.2001.

(k) leaf springs and loose leaves for springs sold to State Road Transport Corporations of various States and Indian Railways. S.No. 1563 dated 22.3.2002.

(l) Hydrogenated vegetable oil including vanaspati and margrine manufacutred from edible oil: S.No. 1605 dated 16.4.2002.

Departmental circular : See S.No. 653A dated 17.1.1987.

10. राज्य सरकार की उपरोक्त अधिसूचना का यह उद्देश्य था कि यदि कोई व्यवसायी जो राज्य के बाहर एवं Inter State बिक्री करता था वह व्यवसायी यदि राज्य के बाहर की बिक्री में कमी करता है और उस सामान की Inter State बिक्री बढाता है तो बढी हुई राशि पर उक्त अधिसूचना से Partial exemption का लाभ दिया जायेगा क्योंकि इससे राज्य सरकार को जिस सामान पर राज्य के बाहर की बिक्री में कर प्राप्त नहीं हो रहा था उस सामान की Inter State बिक्री में बढ़ोतरी होने से राज्य को प्राप्त होने वाले कर में बढोतरी होगी। इस अधिसूचना में यह भी स्पष्ट था कि उक्त लाभ के लिये वर्ष 1984–85 की बिक्रियों का प्रतिशत आधारभूत वर्ष रखा गया तथा इसी अनुसार उक्त अपीलार्थी की वर्ष 1984–85 की सीमेंट की बिक्री का प्रतिशत निर्धारित कर दिया गया जिसे आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा अनुमोदित किया गया और उसी

2 2m

लगातार......5

# -: 5 :- अपील संख्या-746, 747 / 2010 / अजमेर

अनुसार सीमेंट की बिक्री पर उक्त अधिसूचना का लाभ दे दिया गया। इस बिन्दु पर कोई विवाद नहीं है कि क्लिंकर भी एक पृथक वस्तु के रूप में निर्मित होकर विक्रय हो सकती है परन्तु अपीलार्थी द्वारा आधार वर्ष 1984—85 में क्लिंकर की बिक्री होने सम्बन्धी न तो कोई तथ्य पेश किया गया न ही उक्त अधिसूचना अनुसार किसी अन्य निर्माता द्वारा भी क्लिंकर की बिक्री सम्बन्धी कोई आधार अनुपात प्रतिशत पेश किया गया कि वर्ष 1984—85 में एक विशिष्ठ प्रतिशत से की गई बिक्री से अधिक बिक्री की गई है। अपीलार्थी को उक्त अधिसूचना का लाभ प्रदान करने का कोई आधार नहीं था क्योंकि अधिसूचना अनुसार वर्ष 1984—85 में क्लिंकर का विक्रय न तो स्वयं द्वारा किया जाना बताया गया एवं न ही राज्य की अन्य यूनिट द्वारा क्लिंकर की वर्ष 1984—85 की बिक्री का विक्रय प्रतिशत पेश किया गया है अतः बिना किसी आधार के क्लिंकर की बिक्री पर Partial Exemption अस्वीकार करने का कर निर्धारण आदेश विधिसम्मत है एवं

अपीलीय आदेश द्वारा भी इसकी पुष्टि की जाने में कोई त्रुटि नहीं की है। 11. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार योग्य होने के कारण अस्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाता है।

12. निर्णय सुनाया गया।

नःक्ष्रूरण-( नत्थूराम ) सदस्य